5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000रु. R 5000

पांच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

Senior Treasury
Officer - Mathura
12 DEC 2005
Sig-Sr.T.O.

(2)

आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–84 व खसरा नंबर–210 रकबा 0.345 हैक्टेयर लगानी 5.65 पैसा सालाना बाकै मौजा नगला सतौला तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का अधिकतम सरकारी रेट 200000/–रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 170580/–रूपया है अब वास्ते खर्च खुद व परिवरिश व तालीम नाबालिग उपरोक्त रूपयों की आवश्यकता है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा बै दिनांक–10.9.2004 जिसका निबंधन कार्यालय उ०नि० मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 2875 के सफा 111/124 नंबर–8524 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा बै की शर्तों के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। जिस मुहायदा बै में 7000/–रूपये का स्टाम्प

100 Rs.

(3)

अदा किया गया था जिसमें से 100 / —रूपये का स्टाम्प कमकर 6900 / —रूपये का स्टाम्प इस विक्रय पत्र में मुजरा किया जा रह है व शेष 10200 / —रूपये का स्टाम्प अदा किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 170000 / —एक लाख सत्तर हजार रूपया जिसके आधे 85000 / —पिच्यासी हजार रूपया होते हैं। बदस्त **श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में** बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का 100000 / — एक लाख रूपया खरीदार से बजरिये पेय आर्डर नंबर—0150372 बैंक ऑफ इण्डिया मथुरा शाखा दिनांक—8.12.2005 द्वारा पाये पाथे व 70000 / —सत्तर हजार रूपये नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर **बेची गई** उक्त आराजी पर खरीदार का वाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । **खरीदार बेची गई आराजी** का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हरत जाब्ता मय खर्च के बसूल करलें । इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य

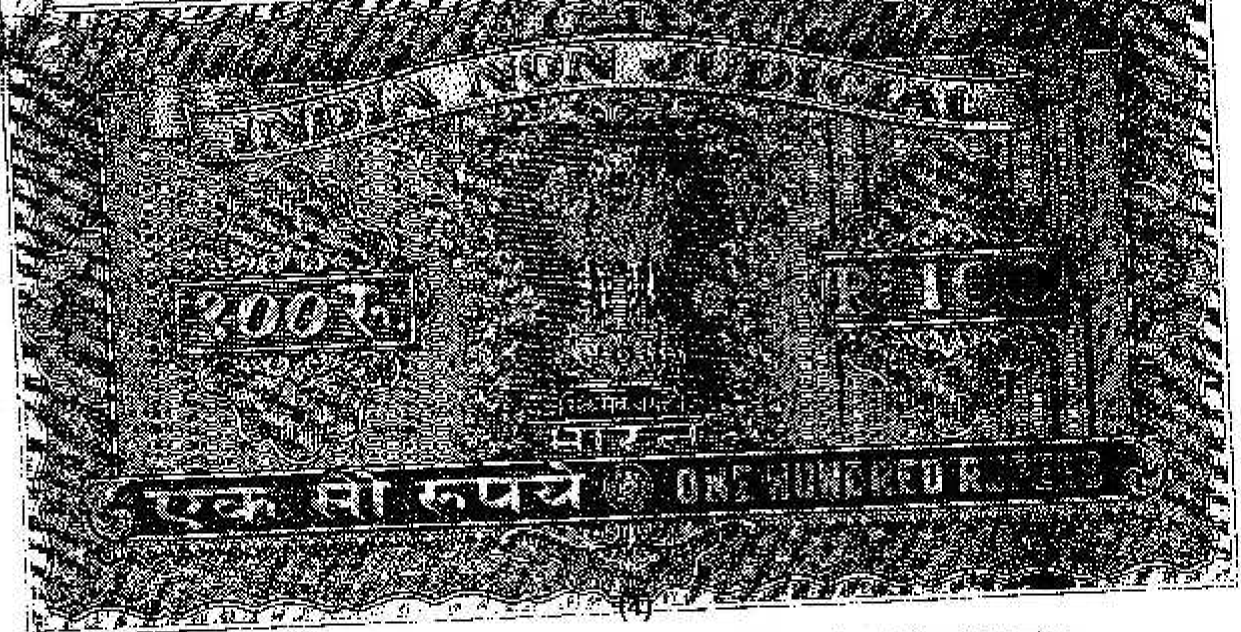

है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित सजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक–30.12.2003 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–4 जिल्द 33 के सफा 163 / 166 नंबर -560 पर दिनांक–30.12.2003 हुआ है, के द्वारा मु0 राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को क्रेता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मोहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक–14.12.2005

कम्प्यूटराइज्ड : गोपाल लवण डारिया पुत्र स्व0 श्री महेशकुमार
गिरांज फोटो स्टेट रजिस्ट्री कार्यालय के सामने, मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

जनरल स्टाम्प - 2002

क्र०सं० ... दिनांक ... को० 2002 ...

नाम श्री ... पुत्र श्री ...

संलग्नक ... 10 ... निवासी ...

Shared - Chaturvedi

शरद चतुर्वेदी स्टाम्प विक्रेता

लाo नंo 23 सन 2002

... मथुरा

... दिनांक ...

... 3675 ...

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010200116 ग्राम का नाम : नगला सदोला परगना : मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेवार स्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00039	प्रताप सिंह	मौहर सिंह	नि. मोती कुन्ज एक्सटेंशन कालौनी मथुरा	1413फ	214	0.3450		1413फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मथुरा वाद सं. /05-06 प्रदीप अग्रवाल आदि बनाम सरकारधारा-143 जमीं.वि.एवं भू.व्य.अधि. मौजा नगलासदोला आदेश दि.9.6.06के आधार पर निम्न आराजीअकृषिक घोषित की जाती है। मौजा न.सदोलाभूमिधर का नाम व पता प्रदीप कुमार अग्रवाल, सुनील अग्रवाल पुत्रगण जमुनाप्रसाद नि.अनुराधा कालोनी गोवर्धन चौराहा मथुरा व सुरेश कौशिक मोहनलाल कौशिक नि.26-कैंप कालोनी गीता एन्कलेव मथुरा व राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि.गली ठठेरान मथुरा व प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह नि.मोतीकुन्ज एक्सटेंशन मथुरा खसरा सं. 114ख रकबा 0.253 भू.रा.1.70 अकृषिक घोषित की जाती है। ह.र.का.30.06.06 1414फ - व आदेश न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय मथुरा वाद सं.06/2006 - 07 प्रतापसिंहआदि बनाम सरकार धारा 143 ZALRAct मौजा न.सदोला तह. व जिलामथुरा में पारित आदेश दि.17.10.06 प्राप्त 18.12.06 के अनुसार अन्तगत भूमि को अकृषित घोषित किया जाता है। मौजा न.सदोला नाम खातेदार व पता -प्रतापसिंह पुत्र मौहरसिंह नि.मोती कुन्ज एक्सटेंसन कालौनी विरणापुर मथुरा खाता सं.39 खसरा सं.210 रकबा 0.345 है भा.गु.5.65	
				1413फ	210	0.3450			
				1413फ	114ख	0.2530			
				1412	110	0.5490			

खतौनी 419

8/6/2007

क्रमांक : 07010200116 ग्राम का नाम : नगला सदौला परगना : मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1414-1419 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा का उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
								कुल खसरा सं.214 रकबा 0.945 हे मा.गु.5.65 रू.व [illegible]सं.110 रकबा 0.549 हे.मा.गु 7.55 रू.को अंकित [illegible] किया जाता है। ह.र.क.18.12.06	
				कुल गाटे :	4	कुल हे : 1.4920	15.85		

419

8/6/2007

10224/05 5000Rs. 32

INDIA NON JUDICIAL

5000 रु. R 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND

Senior Treasury Officer - Mathura

12 DEC 2005

Sig-Sr.T.O.

बैनामा 170000/–रूपया स्टाम्प हेतु मालियत 170580/–रूपया स्टाम्प देय 17100/–रूपया जिसमें से 7000/–रूपये का स्टाम्प बजरिये इकरारनामा दिनांक–10.9.2005 प्रलेख संख्या–8524 के द्वारा अदा किया जा चुका है व शेष 10200/–रूपये का स्टाम्प इस समय अदा किया जा रहा है। बिक्रित आराजी स्थित मौजा नगला सदोला तहसील व जिला मथुरा मौजे की आराजी का अधिकतम सरकारी रेट 200000/–रूपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या–52 के क्रमांक 48 पर दर्ज है। कार्य क्षेत्र उ0नि0 मथुरा।

हमकि जीवन व बांके पुत्रगण स्व0 श्री भूपसिंह व श्रीमती प्रेमा पत्नी स्व0 श्री भूपसिंह खुद व वली व संरक्षिका अपने नाबालिगान पुत्रगण देवीसिंह नाबालिग उम्र करीब 16 व राजकुमार नाबालिग उम्र 13 साल निवासीगण ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री श्यामसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी वृन्दावनगेट, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

जीवन बांके प्रेमा श्यामसिंह